न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराना 27/2019 नया मु. न0 451/2022

उनवान मनीषा वगैरह बनाम यमुनादत वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

निर्णय

निर्णय दिनांक 23.08.2024

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि जमीन ख.न. 557 रकबा 4.61 हैक्टर, ख.न. 564 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम हेतमसर के बाबत यह दावा किया है लेकिन दावे में यह दर्ज नहीं किया। यह जमीन प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में कैसे दर्ज हुई हैं इस बाबत दावे में कोई वैध आधार भी दर्ज नहीं किया।वादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी होने का कथन किया है लेकिन दावे में यह दर्ज नहीं किया कि पत्नी को हक हिस्सा कैसे मिला। दावे में यह भी दर्ज़ नहीं की हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संशोधित प्रावधान कैसे लागु हुए। धारा 6 के संशोधन प्रावधान के अनुसार चार पीढ़ीयों की सम्पति होना व सयुक्त हिन्दु परिवार होना व मिताक्षरा विधि से शाशीत होने के तथ्य दावे में दर्ज करना आवश्यक है। वादीगण ने दावे में धारा 6 के सारभूत तत्व दावे में दर्ज नहीं किये व वादीगण नं. 1 व 2 की उम्र भी दर्ज नहीं की। इस कारण दावे में चाहे गये अनुतोष के लिये सह खातेदारी विधिवत स्त्रोत दर्ज नहीं किया गया। सारभूत तथ्यों को छुपाकर दूरभावना पूर्वक गलत तथ्य दर्ज गलत दावा किया है। दावे में चाहे गये मुख्य अनुतोष घोषणा का वैध स्त्रोत दर्ज नहीं किया। इस कारण कानून से दावा बाधित है।आदेश 7 नियम 11 सि. प्र. स. के प्रावधान दावे के किसी भी स्तर पर देखे जा सकते है। उक्त धारा 6 में यह प्रावधान है कि दिशम्बर 2004 से पूर्व के बंटवारे के आधार पर मिले अधिकार में धारा 6 के प्रावधान लागु नहीं होगें। वादीगण ने यह दर्ज नहीं किया कि धारा 6 के संशोधन 2005 में लागु हुये तब विवादित जमीन की क्या स्थिति थी।प्रतिवादीगण नं. 4 से 7 को हस्तान्त्रण के आधार पर पक्षकार बनाया है। कानुन से पिता के हस्तान्त्रणं से पुत्र व पुत्रीयां बाध्य होते है जब तक हस्तान्त्रण विलेख को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता।इस प्रकार वाद में दर्ज तथ्यों के अनुसार दावा प्रतिबन्धित है व वाद आधार दर्ज नहीं है। इस कारण निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रतिवादीगण नं. 4 से 7 का प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 सि. प्र. स. का स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारीज किया जावे।

वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। वादीगण ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से उक्त भूमि पैतृक होना दर्ज किया है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। जिसको वादीगण/अप्रार्थी साक्ष्य से सावित करेंगे।प्रार्थना पत्र की धारा 2 अस्वीकार है। उक्त प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज सभी कथन साक्ष्य द्वारा सावित किये जायेंगे। अभी पत्रावली प्रतिवादीगण के जवाब में है इस स्तर पर उक्त कथन सावित किया जाना सम्भव नहीं है प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये बिन्दू साक्ष्य का विषय है जिन्हे केवल साक्ष्य से ही सावित किया जा सकता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अ. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।वाद पत्र की धारा 3 अस्वीकार है।वाद पत्र की धारा 4 कानूनी है उक्त विक्रय विलेख के विरुद्ध वादीगण द्वारा सिविल न्यायालय में कार्यवाही की जावेगी।अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमया जावें।

उपखण्ड अधिकारी

... बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्राथना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि जमीन ख.न. 557 रकबा 4.61 हैक्टर, ख.न. 564 रकबा 0.01 हैक्टर वाके ग्राम हेतमसर के बावत यह दावा किया है लेकिन दावे में यह दर्ज नहीं किया उक्त जमीन प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में कैसे दर्ज हुई है इस बावत दावे में कोई वैध आधार भी दर्ज नहीं किया।वादी नं. 3 ने प्रतिवादी नं. 1 की पत्नी होने का कथन किया है लेकिन दावे में यह दर्ज नहीं किया कि पत्नी को हक हिस्सा कैसे मिला। दावे में यह भी दर्ज नहीं की हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के संशोधित प्रावधान कैसे लागु हुए। वादीगण ने दावे में धारा 6 के सारभूत तत्व दावे में दर्ज नहीं किये व वादीगण नं. 1 व 2 की उम्र भी दर्ज नहीं की। इस कारण दावे में चाहे गये अनुतोप के लिये सह खातेदारी विधिवत स्त्रोत दर्ज नहीं किया गया। सारभूत तथ्यों को छुपाकर दूरभावना पूर्वक गलत तथ्य दर्ज गलत दावा किया है। दावे मे चाहे गये मुख्य अनुतोप घोषणा का वैध स्त्रोत दर्ज नहीं किया। इस कारण कानून से दावा बाधित है। आदेश 7 नियम 11 सि. प्र. स. के प्रावधान दावे के किसी भी स्तर पर देखे जा सकते है। उक्त धारा 6 में यह प्रावधान है कि दिशम्बर 2004 से पूर्व के बंटवारे के आधार पर मिले अधिकार में धारा 6 के प्रावधान लागु नहीं होगें। वादीगण ने यह दर्ज नहीं किया कि धारा 6 के संशोधन 2005 में लागु हुये तब विवादित जमीन की क्या स्थिति थी। इस प्रकार वाद में दर्ज तथ्यों के अनुसार दावा प्रतिबन्धित है व वाद आधार दर्ज नहीं है। इस कारण निरस्त किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

1- AIR 2013 DELHI 20.PRADEEP NANDRAJOG AND MANMOHAN SINGH] JJ-Dr- Prem Bhatnagar through LRs- v- Ravi AIR Mohan Bhatnagar and Ors- RFA (OS) No- 16 of 2007] D/–6–8–2012-
(A) Hindu Succession Act (30 of 1956)] S- 8 Applicability & Succession "When claimant was born, there was nei& ther joint Hindu family nor any property belonging to joint Hindu family & Suit the property acquired by claimant's grand& father from his own funds & Thus, prop&& erty held by him as individual property and not joint family property & Deceased died after coming into force of Act Therefore, succession to estate would be as per S- 8 of Hindu Succession Act & Claimant, by birth did not acquire inter& est in property- (Para 12)" .

2- AIR 2013 CHHATTISGARH 107 N. K. AGARWAL, J. Vedram Hukum Singh v. Tikaram & Ors. S. A. No. 82 of 1992, D/- 27-2-2013.
A. Hindu Succession Act (30 of 1956), Ss. 8, 19-Joint family property - Sale deed - Suit for declaration - Plaintiff's father inheriting, property along with his brother and mother as tenants in common such plaintiff would have no right at all in property in lifetime of his father - Plain- tiff not entitled to challenge alienation made by his father on ground that his fa- ther had sold property without legal ne- cessity Also plaintiff would have no right to claim joint possession - Decree- ing of suit to effect that sale deed was void, improper.

3- (Rajasthan High Court) Jaipur Bench10HON'BLE NARENDRA SINGH DHADDHA, JManoj Sharma & Anr.Versus Pankaj Sharma &

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

II

30.01.202415 Hindu Succession Act, 1956, Sec. 8 and Schedule I read with C.P.C., Order 7 Rule 11 - Suit for declaration of relinquishment deed as null and void, partition and permanent injunction filed by respondent - Disputed property was in the name 'R' - Father of respondent-plaintiff is alive - As per Section 8 of the Act of 1956 respondent had no right to sue regarding disputed property because Schedule 1 of the Act of 1956 excludes child of child or grand child of a child - Held - Respondent No.1 had no right in the suit property during the lifetime of his father -Trial Court wrongly dismissed the application filed by the petitioner under Order 7 Rule 11 C.P.C. Revision petition allowed. (Para 7)

4- Superme court .HON'BLE KURIAN JOSEPH, J.HON'BLE R.F. NARIMAN, J.UttamVersus Saubhag Singh & Ors.Civil Appeal No. 2360 of 2016, decided on 02.03.2016. Hindu Succession Act, 1956, Sec. 6 (Prior to 2005 Amendment) and Sec. 8 -Devolution of interest in coparcenary property - Partition suit by grandson during Life time of his father - Death of grand father in, 1973 Plaintiff/grand son born in 1977 after death of grand fatherMaintainability of partition suit by grandson - Ancestral propertyceases to be joint family property from the date of death of grand father Property will devolve by succession u/Sec. 8- Plaintiff/grandson's father and uncle and widow of deceased grandfather, held property as tenants in common - Held - Suit by grandson is not maintainable, inasmuch as on the date of his birth the said ancestral property was not joint family property. (Paras 15, 20,21)Appeal dismissed.

5- AIR 2010 PATNA 189,Dr. RAVI RANJAN, J. Bhagirath Prasad Singh v. Ram Narayan th Rai & Anr. C.R. No. 2143 of 2009, D/- 24-6-2010. (A) Civil P. C. (5 of 1908), S. 115 - Or- der rejecting plaint - Is revisable. (Para 4) S(B) Civil P. C. (5 of 1908), O. 7, R. 11-Rejection of plaint - Plaintiff had delib-erately suppressed material facts - Realcause of action not set out in plaint rather something illusionary had been stated with a view to get out scope of O. 7 R. 11uch clever drafting and suppression of material facts are not permitted in law. Continuance of suit, would amount to abuse of process of Court - Plaint liable to be rejected. (Paras 12, 13)

6- [Citation: 2020(4) RLW 2855 (Raj.)](Rajasthan High Court)HON'BLE ARUN BHANSALI, J.Hemant Godara & Anr.Versus Banwarilal & Ors. S.B. Civil First Appeal No. 180 of 2016, decided

खण्ड अधिकारी

... Respondent-defendant's application under Order 7 Rule 11 allowed - Plaint rejected - Suit for cancellation of sale-deed Subject matter of sale-deed is an agricultural land and the plaintiff have so far not got themselves declared as khatedars, suit was barred u/Sec. 207 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, therefore, the plaint be rejected - In the plaint the question of validity of sale-deed was questioned by claiming the property as joint family property and the karta (could not have transferred the property) - Held - Allegations made in the plaint make out a case of the transfer being voidable, only the Civil Courts would have jurisdiction, irrespective of the fact that the subject matter is an agricultural land - Bar created by Sec. 207 of the Act of 1955, had no application - Order passed by trial Court cannot be sustained. (Para 12)

7. 2020(2) RRT 858SUPREME COURT HON'BLE JUSTICE MR. A.M. KHANWILKAR HON'BLE JUSTICE MR. DINESH MAHESHWARI Radha Bai vs.Ram Narayan & Ors.Civil Appeal No. 5889 of 2009Decided on 22nd Nov., 2019. Hindu Succession Act, 1956-Section 6-Suit for partition and declaration-After death of Sukhdev in 1965 property devolved on the JR and PR-Sahablal S/o JR died in the year 1957-JR and PR partitioned the property in the year 1967 and JR sold the property to his grandsons defendant No. 1 to 4 on 21.7.1979-No right of the Sohablal in the property till the death of JR-Suit dismissed-First Appellate Court decreed the suit- High Court set aside the judgment and dismissed the suit-Appellant not challenged the partition nor the sale deeds-No rights of the appellant in the property-Held, High Court has not committed any error in setting aside the judgment-Appeal fails and dismisse

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दावा हाजा को लम्बीत रखने की नियत से बिना किसी आधार के पेश किया गया है जो खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण ने अपने दावे में स्पष्ट रूप से उक्त भूमि पैतृक होना दर्ज किया है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से प्राप्त हुई है। जिसको वादीगण/अप्रार्थी साक्ष्य से साबित करेंगे। अभी पत्रावली प्रतिवादीगण के जबाब में है इस स्तर पर उक्त कथन साबित किया जाना सम्भव नहीं है प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये बिन्दू साक्ष्य का विषय है जिन्हे केवल साक्ष्य से ही साबित किया जा सकता है। उक्त तथ्यों के आधार पर अ. आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

विधि के बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 निम्नानुसार है जिसके अनुसार वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा :-

1. जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है,

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

...कृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,

3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,
4. जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,
5. जहां वह डुप्लीकेट फाईल नही किया गया है,
6. जहां वादी 9 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में प्रार्थी (प्रतिवादी) की मुख्य आपति यह है कि वादीगण ने दावे में धारा 6 के सारभूत तत्व दावे में दर्ज नहीं किये व वादीगण नं. 1 व 2 की उम्र भी दर्ज नहीं की। दावे में चाहे गये अनुतोष के लिये सह खातेदारी विधिवत स्त्रोत दर्ज नहीं किया गया। सारभूत तथ्यों को छुपाकर दूरभावना पूर्वक गलत तथ्य दर्ज गलत दावा किया है। दावे में चाहे गये मुख्य अनुतोष घोषणा का वैध स्त्रोत दर्ज नहीं किया। जो विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश किये गये न्यायिक दृष्टांत इस बात की पुष्टि करते है। वादी पक्ष द्वारा वाद में वादगस्त भूमि के सबंध वस्तुनिष्ट तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जो वाद कारण लिए अहम बिन्दु है।

समस्त तथ्यों साक्ष्य सबूतों दौराने बहस पेश की गई दलीलों के मध्यनजर प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/24

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ
अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 84/2023 मनीषा वगै. बनाम यमुनादत वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2024 अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर वाद वादी खारीज किया जाता है।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.08.2024 को जारी की गई।

सुप्रिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा